

"हिन्दी भाषा राष्ट्र निर्माण में सहायक है"



कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान), करियप्पा मार्ग, लखनऊ छावनी -226002
Office of the Principal Controller of Defence Accounts (Central
Command) Cariappa Road, Cantt., Lucknow, Pin Code - 226002
कार्यालय दूरभाष सं.-**0522-2451084** कार्यालय फैक्स सं.-**0522-2453038**
Office Phone No. 0522-2451084 Office Fax No. 0522-2453038



E-mail ID: pcdaccan1a.dad@gov.in

प्रशा./1अ/1004/विविध परिपत्र

परिपत्र

दिनांक: -01/08/2023

सेवा में,

- 1- क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ
- 2- एकीकृत वित्तीय सलाहकार (म.क.), लखनऊ
- 3- संगठन के सभी उपकार्यालय
- 4- मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग

(केवल वेबसाइट के माध्यम से)

विषय: - भारतीय झण्डा संहिता, 2002 (2021 एवं 2022 में यथासंशोधित) तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अंतर्विष्ट नियमों का कड़ाई से पालन।

संदर्भ:- मुख्यालय कार्यालय का परिपत्र संख्या प्रशा.-III/3012/परिपत्र/जिल्द/11 दिनांक 28/07/2023

लोक अनुभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या 15/1/2023-पब्लिक दिनांक 18 जुलाई 2023 की प्रति एवं भारतीय झण्डा संहिता 2002 में निहित मुख्य दिशानिर्देशों को आपके संज्ञान एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित किया जा रहा है।

2- तदनुसार आपसे अनुरोध किया जाता है की उसमें निहित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

वर्गाधिकारी (प्रशासन) द्वारा अवलोकित।

संलग्नक:- यथोपरि।

लेखा अधिकारी (प्रशासन)

"हर काम देश के नाम"




रक्षा लेखा महानियंत्रक

उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-110010

Controller General of Defence Accounts

Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt.- 110010

Phone: 011-25665703 Fax: 011-25674806, 25674821 email: aniii.cgda@nic.in



F. No. प्रशा.-III/3012/ परिपत्र/जिल्द/11

दिनांक 28.07.2023

सेवा में,


समस्त र.ले.प्र.नि., प्रधान लेखा नियंत्रक (फैक्टरी), प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार
र.ले.नि., एकीकृत वित्तीय सलाहकार, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र
(ईमेल द्वारा)

विषय: भारतीय झंडा संहिता, 2002 (2021 एवं 2022 में यथासंशोधित) तथा राष्ट्रीय गौरव
अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अंतर्विष्ट नियमों के कड़ाई से पालन के संबंध
में।

अधोहस्ताक्षरी को, पब्लिक अनुभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या
15/1/2023-पब्लिक दिनांक 18 जुलाई 2023 की प्रति एवं भारतीय झंडा संहिता 2002 में निहित
मुख्य दिशा निर्देशों को, आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित करने का निर्देश दिया
गया है।

2. तदनुसार आपसे अनुरोध किया जाता है कि उसमें निहित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से
अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक (प्रशा.) के अनुमोदन से जारी।



(पंकज कुमार)

लेखा अधिकारी (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1 प्रशासन-4, स्थानीय.

सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु।


(पंकज कुमार)

लेखा अधिकारी (प्रशासन)

प्रति प्रेषित :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. सभी राज्यपालों के कार्यालय।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
10. सभी उच्च न्यायालय ।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
13. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली ।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
16. 5 अतिरिक्त प्रतियां।

(6)

198

पाण्डेय प्रदीप कुमार
12/7/2023
(पाण्डेय प्रदीप कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23093101

(ज) संहिता के भाग-III की धारा-IX में उल्लिखित गणमान्यो जैसे राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि, के सिवाय झंडे को किसी वाहन पर नहीं फहराया जायेगा।

(झ) किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊँचा या उससे ऊपर या उसके बराबर में नहीं लगाना चाहिए।

नोट: अधिक जानकारी के लिए, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय झंडा संहिता, 2002, गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।